| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही हेतु आईन्दा दिनांक 21/09/22 को पेश हो। |
| 21/09/22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान वकील उप०। विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में आईन्दा दिनांक 13/11/2022 को पेश हो। |
| 13/11/22 | आज राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/12/2022 को पेश हो। |
| 23/12/2022 | पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 11/01/23 को पेश हो। |
| 11/01/23 | पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23/01/23 को पेश हो। |
| 27/01/23 | पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 2/2/23 को पेश हो। |
| 02/02/23 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान वकील उप०। तहसीलदार सोड़वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने तहसीलदार सोड़वा से प्रेषित विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्णय पारित किया गया जिसे स्वीकार किया जाता है। अंतिम निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] संलग्न हो। |

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

( पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस. )

मुकदमा नम्बर :– 141 / 2021

दावा बाबत् :–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. कम्बर पुत्र वारम जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | | 1. मोहम्मद पुत्र मीरू<br>2. दिता पुत्र मीरू<br>4. राणी पत्नि मीरू, जातियान मुसलमान, निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>5. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा। |

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री दोष मोहमद**

प्रतिवादीगण वकिल **श्री ज्येष्ठ कुमार**

## –:निर्णय :–

दिनांक 02/02/2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 3.08.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसके संर्दभ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक / भू.अ. / 2022 / 4047 दिनांक 26.12.2022 द्वारा मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 9.1378 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी वकील उप0। प्रतिवादीगण के वकील उप0। वादी वकील ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो विधि संवत् रूप से तैयार किया गया। सभी पक्षकारान को सूचना के नोटिस जारी किये गये एवं मौके पर उप0 होने हेतु पाबंद किया गया। मौके पर सभी पक्षकारान उप0 हुए। वकील उभयपक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

| | नाम खातेदारान | ग्राम | ख. नं. | रकबा | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कम्बर पुत्र वारम कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार | सलारिया | 194 | 4.5689 हैक्टर | बा.दो. | 1.42 | हरा |
| 2 | मोहम्मद खान पुत्र मीरू 4/15हिस्सा<br>कादरखान पुत्र मीरू 4/15 हिस्सा<br>दीता पुत्र मीरू 4/15 हिस्सा<br>राणी पत्नि मीरू 1/5 हिस्सा<br>जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार | सलारिया | 194 | 4.5689 हैक्टर | बा.दो. | 1.41 | केसरिया |

तहसीलदार सेड़वा को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.12.2022 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर-दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2023 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

# डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
## (ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
## (Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. कम्बर पुत्र वारम जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | | 1. मोहम्मद पुत्र मीरू<br>2. दिता पुत्र मीरू<br>4. राणी पत्नि मीरू, जातियान मुसलमान, निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>5. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा। |

मुकदमा नम्बर : 141/2021
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

**<u>कम्बर बनाम मोहम्मद वगैरा</u>**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई **वादी वकील दोष मोहममद उपस्थित एवं प्रतिवादीगण वकील श्री ज्येष्ठ कुमार उपस्थित** राज पेरोकार तहसीलदार सेड़वा मनजानिव मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 26.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

| क. सं. | नाम खातेदारान | ग्राम | ख. नं. | रकबा | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कम्बर पुत्र वारम कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार | सलारिया | 194 | 4.5689 हैक्टर | बा.दो. | 1.42 | हरा |
| 2 | मोहम्मद खान पुत्र मीरू4/15हिस्सा<br>कादरखान पुत्र मीरू 4/15 हिस्सा<br>दीता पुत्र मीरू 4/15 हिस्सा<br>राणी पत्नि मीरू 1/5 हिस्सा<br>जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार | सलारिया | 194 | 4.5689 हैक्टर | बा.दो. | 1.41 | केसरिया |

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे मे अलग–अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 02/02/23 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

# वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1 वाद के लिए स्टाम्प | | शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 ....... रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह | | आदेशिका की तामिल | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेढ़वा